न्यायालय विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1704 सन 2022
अरूण सिंह यादव बनाम राज्य
मु.अ.सं. 05/2022
धारा– 13(1)(1)(बी)/13(2) पी.सी.एक्ट
थाना– सतर्कता सेक्टर, देहरादून
अभियुक्त की अधिवक्ता – पाखी बन्सल एवं श्री वरूण कटियार

दिनांक–11.10.2022

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक अरूण सिंह यादव पुत्र स्व. श्री अजय पाल यादव निवासी 14ए विज्ञानपुर, महानगर, लखनऊ,उत्तर प्रदेश की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या, धारा एवं थाना में दिया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित नही है। मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आवेदक को आरोप पत्र में नामित नही किया गया है। आवेदक राम विलास यादव की पत्नी का भाई है। सतर्कता विभाग द्वारा उसे दिनांक 29.09.2022 को धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नोटिस भेजा गया था। उसे अन्देशा है कि पुलिस उसे इस मामले में गिरफतार कर सकती है। अतः उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाये।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का समर्थन करते हुए तर्क किये गये है।

4. आवेदन के साथ आवेदक द्वारा मु.अ.सं. 05 सन 2022 के आरोप पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है। जिसके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त राम विलास यादव के विरूद्व आरोप पत्र अंतर्गत धारा 13 (1) (इ) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109 एवं 120बी में प्रस्तुत किया गया है,जिसमें राम विलास यादव की आय उसकी आय के सापेक्ष 2626 प्रतिशत अधिक पायी गयी है। आवेदक द्वारा एक नोटिस अंतर्गत धारा 160 दण्ड प्रक्रिया संहिता भी प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सतर्कता विभाग के विवेचक द्वारा आवेदक को दिनांक 1.10.2022 को बयान अंकित कराने हेतु उपस्थित होने हेतु कहा गया था परन्तु आवेदक विवेचक के समक्ष उपस्थित नही हुआ।

5. चूंकि आवेदक मुख्य अभियुक्त राम विलास यादव का सम्बन्धी है और आय के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग उससे भी पूछताछ करना चाहता है। परन्तु आवेदक विवेचक के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नही हो रहा है। मामला भ्रष्टाचार से सबधित है। मामले की प्रकृति गम्भीर है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियो एवं मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अरूण सिंह यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंगीकरण के स्तर पर ही निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक अरूण सिंह यादव का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंगीकरण के स्तर पर ही निरस्त किया जाता है।

दिनांक 11.10.2022

(चन्द्रमणि राय)
विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान/
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
देहरादून।